न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 29.05.2019

सिविल प्रकरण संख्याः— 30 / 2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. मनीष गोयल पुत्र श्री रामावतार गोयल जाति महाजन (विक्रेता व मालिक)—फर्म—गोयल किराना स्टोर, मैन रोड बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर निवासी जाट मोहल्ला, बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 17/7/23

निर्णयः—

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 25.10.2018 को समय लगभग 03.45 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म—यल किराना स्टोर, मैन रोड बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर पर श्री वेद प्रकाश पूर्विया एफएसओ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा वहॉ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मनीष गोयल पुत्र श्री रामावतार गोयल बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने मनीष गोयल को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। अभियुक्त अपनी दुकान पर रिफाईन्ड पॉम तेल, रिफाईन्ड सोयाबीन तेल, सरसो तेल तथा अन्य किराना व परचून सामग्री आमजन को व्रिकय करता है। आवेदक ने अभियुक्त से दुकान का वर्ष 2018—19 का खाद्यपदार्थ लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन सर्फिफिकेट एवं स्वंय का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया व उसकी एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। तथा खाद्यपदार्थ लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन बाद में दिखाने का कहा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय फर्म के विकय परिसर में आम जनता को विकय हेतु रखे हुए खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक** के 12 पैक दुकान में एक लकड़ी की रैक मं रखे हुये थे, का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता मनीष गोयल से उक्त खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक** के पैकिटों में से शुद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर लकड़ी की रैक में रखे हुए खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर** **पैक** के 12 पैकिटों में से 4 पैक शुद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 640/– रूपये अक्षरे छः सौ चालीस रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने स्वंय हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल** **(श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक** के चारो पैकिटों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग–अलग चिपकाकर पैकिटों को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H–1519** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक पैकिट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों पैकिटों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया, दुकान पर मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक मनीष गोयल से उक्त खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने उस समय बिल नहीं होना बताया बाद में पेश करने को कहा। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील इम्प्रशेन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बंद किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 26.10.2018 को खाद्य विश्लेषक कोटा (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की बाकी बचे दो सील बन्द पैकिट (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लेट कर सील मोहर कर तथा नमूने के शेष एक सील बन्द पैकिट (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर दिनांक 26.10.2018 को स्वंय के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2018/4253 दिनांक 12.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 621/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/671 दिनांक 12.12.2018 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक** का नमूना मिथ्याछाप (**Misbrandard Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006)** प्रकृति का पाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
अति. जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने रजिस्टर्ड पत्र कमांक 346 दिनांक 06.02.2019, 600 दिनांक 06.03.2019 व 967 दिनांक 22.04.2019 के द्वारा फर्म–गोयल किराना स्टोर, मैन रोड बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर के मालिक मनीष गोयल को उक्त खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल, खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं फर्म के अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत पत्र लिखे किन्तु उनके द्वारा माल खरीद बिल, खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं फर्म के अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

उक्त प्रकरण में विकेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने **मिथ्याछाप (Misbrandard Food) प्रकृति की** खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक** का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। फर्म मालिक द्वारा उक्त नमूने के संबंध में बार बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराई गई तथा बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के ही खाद्य कारोबार किया है जो कि कमशः एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) एवं 31(2) का उल्लंघन है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि **मिथ्याछाप (Misbrandard Food) प्रकृति की** खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक** का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा अभियुक्त को उक्त नमूने के संबंध में बार बार पत्र लिखने के उपरान्त भी अभियुक्त द्वारा कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। अभियुक्त द्वारा बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के ही खाद्य कारोबार किया है जो कि कमशः एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) एवं 31(2) का उल्लंघन है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति एवं मानक स्तर का माना गया है प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। नियमों की जानकारी ना होने की वजह से ही प्रार्थी फर्म का रजिस्ट्रेशन लाईसेन्स आवेदक को उपलब्ध नहीं करा पाया था। प्रार्थी एक पैर से विकलांग है। भविष्य दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया। अन्त में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

निर्णयन अधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट
माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 621/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/671 दिनांक 12.12.2018 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक का नमूना मिथ्याछाप (Misbrandard Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006)** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति का पाया गया। अभियुक्त द्वारा कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराकर एवं बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के ही खाद्य कारोबार कर कमशः एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) एवं 31(2) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा बहस में अपना जुर्म स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 52 एवं धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को Misbrandard (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड पॉम ऑयल (श्रीहरि ब्रान्ड) एक लीटर पैक** का निर्माण व विकय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **5000/–रू0 (अक्षरे पांच हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) एवं 31(2) का उल्लंघन करने पर धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **25000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्तियां राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested